तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/11/2023	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार बायतु से प्राप्त सीमाज्ञान रिपोर्ट व मूल आवेदन पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई विप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की विप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा मौजा-छीतर का पार के खसरा नम्बर-91 में वैलपेड का निर्माण करवाया जा रहा जो की राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थी संख्या-1 के नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थी का खातेदारी खेत मौजा-मूलाकी परवार मण्डल-चौखला में खसरा नम्बर-557 रकबा-128.06 बीघा आया हुआ है जिसमें विप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा प्रार्थी के खेत में खसरा नम्बर-557 में कोई किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है इसलिए प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या-1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-29/11/2018 को खारीज फरमाया जावें। जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की विप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा वैलपेड का निर्माण अपने खेत खसरा नम्बर-91 में करवाया गया जिसका कुछ हिस्सा प्रार्थी के खेत में आता है इसलिए विप्रार्थी संख्या-1 को तामीसला बाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें। ताकि प्रार्थी को किसी प्रकार की हानी या नुकसान नहीं हो। न्यायालय द्वारा	

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तहसीलदार बायतू से दोनों खसरों की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार बायतू से सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त हुई, तहसीलदार बायतू द्वारा अपनी रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रस्तुत किया जाकर बताया गया की कैयर्न कम्पनी द्वारा वेलपेड का निर्माण अपनी भूमि खसरा नम्बर-91 में करवाया जा रहा है प्रार्थी की भूमि में कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा तहसीलदार बायतू से प्राप्त सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया गया की विपक्षी संख्या-1 के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि मौजा-छीतर का पार खसरा नम्बर-91 में वेलपेड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जो की वैधरूप से है प्रार्थी की भूमि में तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है लिहाजा विपक्षी संख्या-1 के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-29.11.2018 को खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर